

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-5, बरेली।

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 43/2026

कम्प्यू संख्या-700/2026

CNR NO-UPBR01-002820-2026

चन्द्रसेन यादव पुत्र शिव चरन यादव, निवासी मोहल्ला शिवनगर कालोनी कस्बा व थाना फरीदपुर, जिला बरेली।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

मु०अ०सं०-911/2025

धारा-2(b)(i)/3(i) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना-फरीदपुर, जिला बरेली।

दिनांक 07.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **चन्द्रसेन यादव** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र थाना देवरनियां, जिला बरेली, के मु०अ०सं०-911/2025 अन्तर्गत धारा- 2(b)(i)/3(i) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.26 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फसाया गया है। वह निर्दोष है। उसका कोई गैंग नहीं है। गैंगचार्ट में उसके विरुद्ध अ०सं०-43/2025 अन्तर्गत धारा-309(4), 317(2) बी०एन०एस० एवं मु०अ०सं०-300/21 अन्तर्गत धारा-393 भा०दं०सं० का अपराध किया गया, जिसमें उनकी जमानत हो चुकी है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानती प्रस्तुत करने को तैयार हैं। जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करेगा और अन्य अपराध कारित करेगा। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में अ०सं०-43/2025 अन्तर्गत धारा-309(4), 317(2) बी०एन०एस० में उसकी जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश, बरेली दिनांक 04.02.25 को एवं मु०अ०सं०-300/21 अन्तर्गत धारा-393 भा०दं०सं० में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 22.09.2021 को स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा उक्त आदेशों की सत्यापित प्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। दौरान विवेचना विवेचक को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अभियुक्त ने अपराध कारित करके/गैंग बनाकर कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की हो।

6. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई एवं अन्य (2022) 10 एस०सी०सी० 51 एवम् मनीश सिशोदिया बनाम डायरैक्ट्रेट ऑफ इन्फोर्समेन्ट 2024 आई.एन.एस.सी. 595** में प्रतिपादित किये गये विधिक सिद्धान्त **“Bail**

is a rule and jail is an exception” एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **चन्द्रसेन यादव** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न अण्डर टेंकिंग दाखिल करने जमानत पर रिहा किया जाता है।

- 1- यह कि अभियुक्त न्यायालय में नियत होने वाली प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा।
- 2- वह अभियोजन के गवाहों को डरायेगें या धमकायेगें नहीं तथा विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर सहयोग करेगा, बिना न्यायालय की अनुमति से जनपद का क्षेत्राधिकार नहीं छोड़ेगा जब तक विवेचना विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती।
- 3- वह इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- 4- वह दौरान विचारण गवाहों के उपस्थित होने पर स्थगन नहीं देगा।
- 5- वह आरोप विरचित किये जाते समय एवं 313 द.प्र.सं. 1973 का बयान अंकित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन अभियुक्तगण की ओर से किया जाता है तो अभियोजन को अभियुक्त का जमानत निरस्त कराने का एक पर्याप्त आधार होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **SMWP (Criminal) No- 4 of 2021** में पारित आदेश दिनांकित 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र संख्या **448@SLSA-06/2021 (Shubh/Haider) Dated February 13^ए 2023** के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

(तबरेज अहमद)

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-5, बरेली।

J.O .Code N0. UP-6298